बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: आदेश ::

पटना–15, दिनांक–

श्री दीपक आनन्द, भा.प्र.से.(बिहार:2007) एवं श्रीमती शिखा रानी (पति– श्री दीपक आनन्द) के विरूद्ध अप्रत्यानुपातिक धर्नाजन के आरोप के संबंध में दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या–01/2018 दिनांक 02.01.2018 के आलोक में अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम–3 के उप नियम–3 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक–1442 दिनांक 30.01.2018 द्वारा श्री दीपक आनन्द को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. श्री आनन्द के निलंबन की तिथि से तीस दिनों की अवधि दिनांक 28.02.2018 को समाप्त हो रही है। श्री आनन्द के विरूद्ध दर्ज उक्त कांड अनुसंधान अंतर्गत है तथा अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप के संबंध में श्री आनन्द के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किए जाने की कार्रवाई का अनुशासनिक प्राधिकार का आदेश प्राप्त है और इस आदेश के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री दीपक आनन्द के निलम्बन को बरकरार रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

3. अनुशासनिक प्राधिकार के उक्त निर्णय के आलोक में दीपक आनन्द के निलम्बन को बरकरार रखा जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–6/आ.–02/2018 सा.प्र.– पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :– श्री दीपक आनन्द, भा.प्र.से.(बिहार:2007), निलंबित, मुख्यालय–आयुक्त, पटना प्रमंडल का कार्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–6/आ.–02/2018 सा.प्र.– पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :– पुलिस महानिरीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

P.T.O.

ज्ञापांक :–6/आ.–02/2018 सा.प्र.– 2792 पटना–15, दिनांक– 28-2-18

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थापना पदाधिकारी, कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव कोषांग (कम्प्यूटर सेल) पटना/पटना सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/जिला कोषागार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के प्रशाखा–01/प्रशाखा–06 (निलम्बन समीक्षा पटल हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–6/आ.–02/2018 सा.प्र.– 2792 पटना–15, दिनांक– 28-2-18

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। कृपया इस आदेश को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ अग्रतर कार्रवाई की जाय।

28.2.18

सरकार के अवर सचिव।